राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— एफ 2 (ग) (एसीपी) / 1992—II / अलेसे—I / 1263-64 दिनांक:— 03.05.2013

कार्यालय आदेश संख्या 43 / 2013—14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7) एफडी / रूल्स / 2008 / दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ—14(88)एफडी(नियम) 2008—I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में **श्री रामप्रताप सौंकरिया**, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि **07.07.1958** है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक **31.03.1995** को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक **31.03.2013** से लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.—2, 9300—34800 पे—बैण्ड एवं रूपये 4800 / — ग्रेड पे मे स्वीकृत किया जाता है।

श्री रामप्रताप सौंकरिया, सहायक लेखाधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008—I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त / नियम / 08 दिनांक **27.07.12** द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर विगत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री रामप्रताप सौंकरिया, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ—14(88)एफडी(नियम) 2008—I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200 / — प्राप्त कर रहे है।

निदेशक

क्रमांक:— एफ 2 (ग) (एसीपी) / 1992—II / अलेसे—I / 1263-64 दिनांक:— 03.05.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष— अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर प्रथम।
2. श्री रामप्रताप सौंकरिया, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय— स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर प्रथम।
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल / गोपनीय अनुभाग / कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)

F:\Teekam Office Work\NEW 2012\S.M. Gupta Ji\ACP Order.doc